



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई

प्रीमियम ईटीए, प्रथम तल, प्लॉट नंबर आठ, महावीर नगर प्रथम, कोटा (राज.) 324005

Project Implementation Unit

Premium ETA, 1st Floor, Plot No.8, Mahaveer Nagar 1st, Kota (Raj.) 324005

दूरभाष/Phone : +91-8130006149

ई-मेल/ E-mail : kota@nhai.org
kotapiu@gmail.com

290120/2026/Kota-Baran/240/4442

dated 04.02.2026

सार्वजनिक टिप्पणियों का आमंत्रण

विषय: Operation & Maintenances of Kota-Baran section from km 1080.263 (old km 388.263) to km 1184.322 (old km 492.388) of NH-27 (old 76) in the state of Rajasthan: **Permission required for 01 Nos underground crossing of 11KV electric line at Ch.1158+850 of 4 lane section of Kota Baran NH, the Kishanganj, Dist. Baran in the state of Rajasthan** (20260124/1/11/43330/20460) सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

संदर्भ: M/s Shree Ram Solar Energy letter dated 24.01.2026

महोदय,

सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, मैसर्स श्री राम सोलर एनर्जी ने पत्र दिनांक 24.01.2026 के द्वारा सक्षम प्राधिकारी, राजमार्ग प्रशासन के अनुमोदन के लिए उपरोक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। It is to inform all concern that Authorized Signatory, M/s Shree Ram Solar Energy vide letters dated 24.01.2026 has submitted a proposal for subject work

- यह प्रस्ताव राजस्थान राज्य के बारां जिले की किशनगंज तहसील के रानी बरोद गांव में कोटा-बारां नेशनल हाईवे 27 के 04 लेन सेक्शन के Ch. 1158+850 पर 11KV इलेक्ट्रिक लाइन की 01 अंडरग्राउंड क्रॉसिंग के लिए अनुमति के लिए है। This Proposal for permission required for 01 nos. underground crossing of 11KV Electric Line at Ch. 1158+850 of 04 Lane section of Kota-Baran National Highway 27 at village Rani Barod Tehsil Kishanganj District Baran in the state of Rajasthan
- मंत्रालय के परिपत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/29/2015एसएंडआर(आर) दिनांक 22.11.2016 के पैरा-4 के अनुसार, राजमार्ग प्रशासन द्वारा प्रस्ताव को दावे और आपत्तियाँ (सार्वजनिक असुविधा, सुरक्षा और सामान्य सार्वजनिक हित के आधार पर) मांगने के लिए 30 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा। As per para-4 of Ministry's Circular No. RW/NH-33044/29/2015 S&R (R) dated 22.11.2016, the application shall be put out in the public domain for 30 days for seeking claims and objections (on ground of public inconvenience, safety and general public interest).
- उपरोक्त के मद्देनजर, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पहले, मंत्रालय के दिनांक 22.11.2016 के परिपत्र के संदर्भ में प्रभावित जनता की टिप्पणियाँ/आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती हैं, क्योंकि इस खंड पर क्रॉसिंग बिछाने और पार करने के कारण आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ निर्धारित तिथि 06.03.2026 तक नीचे दिए गए पते पर भेजी जा सकती हैं, निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी टिप्पणी/आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जाएँगी। In view of the above, before approval of the competent authority, the comments/objections of affected public is hereby invited with reference to the Ministry's circular dated 22.11.2016 due to laying and crossing of crossing on the subjected stretch. The objections/comments may be addressed to the below mentioned address upto 06.03.2026 beyond due date, no comments/objections will be accepted.

परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई कोटा प्रीमियम ईटीए, प्रथम तल, प्लॉट नं० 08, महावीर नगर प्रथम, कोटा (राज०)-324005	Project Director Project Implementation Unit Kota Premium ETA, 1st Floor, Plot No.08, Mahaveer Nagar Ist Kota (Rajasthan)-324005
--	--

भवदीय

(संदीप अग्रवाल)

परियोजना निदेशक

Copy to: (i) वेब प्रशासन, एनएचआई, मुख्यालय, नई दिल्ली - एनएचआई की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु [web-dmin@nhai.org]

(ii) निदेशक, एनआईसी, नई दिल्ली - मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु [mansoor@nic.in]

(iii) श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर: सूचनार्थ

(iv) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, मैसर्स श्री राम सोलर एनर्जी, बारां (राजस्थान) - सूचनार्थ।